*3 (14/18/189)

NOTE FOR THE PAD

a) In this regard, it is submitted that the fact mentioned in this point is true.

b) It is submitted that a part of the 19 Kanal Panchayat land transferred to Police Department is under illegal occupation and under Civil litigation. As per report submitted by the Naib Tehsildar, Siwan vide letter dated 16-11-2022 out of the total 19 Kanal land, 7 Kanal 18 Marla land is illegally occupied by various persons by making boundary wall-thatch/katcha house, shop etc. The non-disputed part of total land is 11 Kanal, 2 Marla. It is submitted that two Civil Suit Nos.1670 & 1671/2021 titled as Roshan Lal and Micha Ram S/o Kartar R/o Siwan have been filed in the Ld Court of Civil Judge (JD) Kaithal qua the disputed land and next date of hearing is fixed for 21.03.2024. A committee was constituted in district Kaithal headed by SP/Kaithal, comprising DSP/Headquarter, Kaithal and Executive Engineer, HPHC Madhuban as members to inspect the land for the purpose of construction of the building of Police Station Siwan, District Kaithal. It was proposed to construct the building on the non-disputed part measuring 11 Kanal 2 Marla out of total 19 Kanal land. Accordingly, the committee members jointly visited and inspected proposed land for construction of Police Station building on 12.04.2023. During inspection, the committee observed that a pond was existing on the above said proposed land and the effluent of whole Siwan Town was accumulated in this pond. Further, the depth of this pond is immeasurable. So, after analyzing all the facts regarding the project, the committee unanimously proposed that the police station building on this proposed site having pond is not feasible. Direction was issued to Dy. Superintendent of Police Guhla-Supervising Officer of Police Station, Siwan to identify suitable land at another location for construction of proposed building of Police Station Siwan, District Kaithal. The land where the present Police Station is situated will be vacated as soon as a suitable alternate land is identified and a new Police Station building is constructed upon it.

*3 (14/18/189)

पैड के लिए नोट

क) इस संबंध में निवेदन है कि इस बिन्दु में उल्लिखित तथ्य सत्य है।

ख) यह सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग को हस्तांतरित 19 कनाल पंचायत भूमि का एक हिस्सा अवैध कब्जे और दीवानी मुकदमे के अधीन है। नायब तहसीलदार, सीवन द्वारा पत्र दिनांक 16-11-2022 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कुल 19 कनाल भूमि में से 7 कनाल 18 मरला भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चारदीवारी-फूस/कच्चा घर, दुकान आदि बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। कुल भूमि का गैर-विवादित हिस्सा 11 कनाल, 2 मरला है। यह प्रस्तुत है कि दो सिविल सूट नंबर 1670 और 1671/2021 रोशन लाल और मिचा राम पुत्र करतार निवासी सीवन के नाम से विवादित भूमि बारे न्यायालय सिविल जज (जे.डी.) कैथल में दायर किए गए हैं। और अगली सुनवाई की तारीख 21.03.2024 तय की गई है। पुलिस थाना सीवन, जिला कैथल के भवन के निर्माण के उद्देश्य से भूमि का निरीक्षण करने के लिए जिला कैथल में एसपी/कैथल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डीएसपी/मुख्यालय, कैथल और कार्यकारी अभियंता, एचपीएचसी मधुबन सदस्य के रूप में शामिल थे। कुल 19 कनाल भूमि में से 11 कनाल 2 मरला गैर विवादित हिस्से पर इमारत बनाने का प्रस्ताव था। तद्नुसार दिनांक 12.04.2023 को समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से थाना भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का दौरा एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि उक्त प्रस्तावित भूमि पर एक तालाब मौजूद था और पूरे सीवन शहर का अपशिष्ट इस तालाब में जमा होता था। इसके अलावा, इस तालाब की गहराई अथाह है। इसलिए परियोजना से संबंधित सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव दिया कि तालाब वाले इस प्रस्तावित स्थल पर पुलिस थाना का निर्माण संभव नहीं है। उप-पुलिस अधीक्षक, गुहला पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देश जारी किया गया कि पुलिस थाना, सीवन, जिला कैथल के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि की पहचान की जाये। जिस भूमि पर वर्तमान पुलिस थाना स्थित है, उसे उपयुक्त वैकल्पिक भूमि की पहचान होने व उस पर एक नए पुलिस थाना भवन का निर्माण होते ही खाली कर दिया जाएगा।